

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0- 23 / 17-18

सत्यनारायण प्रसाद बनाम् श्याम सुन्दर पंसारी वगै0

:- आदेश :-

21.10.2020

वर्तमान वाद आवेदक सत्यनारायण प्रसाद, पे0-श्याम सुन्दर नाई, सा0-पत्तीचक, पिरोजपुर, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-पिरोजपुर नं0-30, जमाबंदी नं0-163/160, दाग नं0-02, रकवा-00-01-00 धूर जमीन से विपक्षी श्याम सुन्दर पंसारी, पे0-स्व0 निवास पंसारी, प्रताप पंसारी, प्रीतम पंसारी, प्रदीप पंसारी, राज कुमार पंसारी, लालू पंसारी एवं सचीन पंसारी, सभी पे0-श्याम सुन्दर पंसारी, सा0-बाराहाट, थाना-ईशीपुर, जिला-भागलपुर को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-पिरोजपुर नं0-30, जमाबंदी नं0-163/160, दाग नं0-02, रकवा-00-01-00 धूर भूमि उ0-सीमाना, भागलपुर, द0-सड़क, बसौड़ी किरम का जमीन है, जो आवेदक की मां लक्ष्मी देवी, पति-श्याम सुन्दर नाई के नाम से रजिस्टर्ड डीड नं0-292, दिनांक-29.09.1975 द्वारा प्राप्त है। मौजा-पिरोजपुर नं0-30, जमाबंदी नं0-163/160, दाग नं0-02, तौजी नं0-503, रकवा-00-01-00 धूर उत्तर दाग नं0-02 एवं सीमाना भागलपुर, दक्षिण-सड़क, पूरब-दाग नं0-03, प0-दाग नं0-543 विपक्षी द्वारा गैर कानूनी ढंग से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 का उल्लंघन करते हुए दखल कर लिया गया है। विपक्षीगण को आवेदक द्वारा भूमि खाली करने कहने पर खाली नहीं किया जा रहा है। आवेदक एवं इनके परिवार के सदस्य द्वारा नियमित रूप से लगान का भुगतान करते आ रहे हैं। आवेदक द्वारा विपक्षी की उपस्थिति में दिनांक-15.10.1995 एवं 15.11.2014 को नापी भी कराया गया। विपक्षीगण द्वारा कुछ दिनों में विवादित भूमि खाली करने का आश्वासन भी दिया गया, परन्तु खाली नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक-21.06.2017 को वाद दायर करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा दायर किया गया वाद प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है। विवादित मौजा-पिरोजपुर नं0-30, जमाबंदी नं0-163/160, दाग नं0-02, तौजी नं0-503, रकवा- 00-01-00 धूर है, जो गैर मजरूआ जमीन है, जिसका आवेदक जमाबंदी रैयत नहीं है। गैर मजरूआ जमीन होने के कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत वाद चलने योग्य नहीं है। अंचल अधिकारी, मेहरमा से मांगी गई सूचना अधिकार में सूचना उपलब्ध कराया गया है कि विवादित भूमि गैर मजरूआ जमीन है एवं इसका कोई जमाबंदी रैयत नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक या आवेदक के माता-पिता कोई अधिकार नहीं रहने के कारण वाद खारिज करने योग्य है। आवेदक द्वारा दाखिल किया गया दस्तावेज जाली है। कानून वो विधिवत गैर मजरूआ खाते की जमीन केवाला या बिक्री करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। मौजा-पत्तीचक पिरोजपुर नं0-30 गैर मजरूआ पुराना खाता सं0-1/56 नया खाता

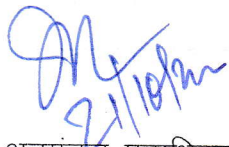
सं0-63 पर आवेदक को वाद करने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक का उक्त वाद संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत खारिज कर देना ही विधि मान्य होगा। आवेदक द्वारा लाया गया प्रश्नगत भूमि सरकारी गैर मजरूआ भूमि है, जो जनहित के लिए है। आवेदक के पिता श्याम सुन्दर नाई एवं माता लक्ष्मी देवी नाई, गोविन्द कुमार ठाकुर एवं विनोद कुमार ठाकुर के विरुद्ध विपक्षी सं0-03 प्रीतम कुमार पंसारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर आर0ई0आर0 केस नं0-238/16-17 लाया गया था, जिसमें दिनांक-05-05-2017 को पारित आदेश में गैर मजरूआ सरकारी भूमि घोषित कर सत्यनारायण प्रसाद एवं अन्य को उच्छेद किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादगत भूमि गैर मजरूआ सरकारी भूमि है। संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-35(1) के अनुसार अधिनियम के तहत कोई भी अधिकारी तालाब/पोखर की बंदोवस्ती नहीं कर सकता है। वर्तमान वाद में उपस्थापित तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि खाता सं0-01/56, पुराना 63, नया दाग नं0-01, रकवा-00-00-18 धूर खतियान में रास्ता कहकर दर्ज है।

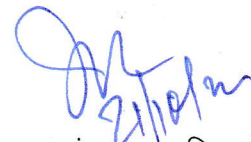
इसके अतिरिक्त WP(PIL) नं0-1076/2011 में दिनांक-24.08.2011 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाना है।

अंचल अधिकारी, मेहरमा को निदेश दिया जाता है कि मौजा-पिरोजपुर के खाता सं0-01/15 पुराना प्लॉट नं0-63 जो नया खतियान में रास्ता में कहकर दर्ज है, को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए एक महीने के अंदर न्यायालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।



अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।



अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen by
Sub-Divisional Officer
24/11/2017